न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 09/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/45

प्रार्थी :–

राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन अधिकारी,
द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री धनपाल पुत्र मांगीलाल निवासी देवगढ
तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 27–03–2025

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि यह कि ग्राम पंचायत देवगढ़ भाग–प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार श्री धनपाल/मांगीलाल पोस कोड 11244 के विरूद्ध राजस्थान संपर्क पोर्टल एवं राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर ''राशन के गेहूं वितरण पर उठने लगे सवाल'' के सन्दर्भ में प्राप्त शिकायत की जांच दिनांक 04.01.2022 को श्री लालशंकर डामोर, प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा बहमराह श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक गढ़ी, श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा की संयुक्त टीम द्वारा की गई। उपभोक्ताओं एवं डीलर की मौजूदगी में उपभोक्ताओं के बयान लिये गये, राशनकार्डो की जांच की गई, गौदाम का भौतिक सत्यापन किया गया। श्री धनपाल/मांगीलाल ग्राम पंचायत देवगढ भाग– का अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है। जिसे कार्यालय से प्राधिकार पत्र संख्या 1593/2018 जारी किया गया है। डीलर को बायोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से राशन सामग्री वितरण करने हेतु पोस मशीन संख्या 11244 आवंटित की गई है।

श्री धनपाल को पात्र उपभोक्ताओं में वितरण हेतु माह दिसम्बर 2021 पेटे खाद्य सुरक्षा योजना में क्रय–विक्रय सहकारी समिति बांसवाडा (थोक विक्रेता खाद्य) द्वारा बिल न. 2973/02.12.2021 द्वारा 124.50 क्विं गेहूँ तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओ में निःशुल्क वितरण हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

माह नवम्बर 2021 पेटे बिल न. 2877/17.11.2021 द्वारा 111.13 क्विं गेहूँ उपलब्ध करवाया गया। दोनो का वितरण माह दिसम्बर 2021 में उपभोक्ताओं को किया जाना था।

मौका जांच में राशन डीलर द्वारा पोस मशीन पर उपभोक्ताओ के फिंगर लगाने के बाद केवल माह दिसम्बर 2021 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं दिया, जो 1 रू एवं 2 रू प्रति किग्रा की दर से वितरण किया गया तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) नवम्बर 2021 पेटे उपलब्ध करवाया गया गेहूँ जो निःशुल्क वितरण किया जाना था, का उपभोक्ताओं में वितरण नही किया जाना पाया गया। जांच में यह तथ्य पाया गया कि उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में भी केवल खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं (माह दिसम्बर 2021) की मात्रा का वितरण इन्द्राज किया गया तथा डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को यह गेहूं दिया गया, किन्तु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का गेहूँ उपभोक्ताओं को उपलब्ध नही करवाया जाकर पोस मशीन में फर्जी ट्रांजेक्शन किया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित 23 उपभोक्ताओं के राशनकार्डो की जांच तथा उनके बयान लिए गये जिन्हें डीलर द्वारा दिसम्बर 2021 में केवल खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का ही वितरण किया जाना पाया गया। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् पात्र उपभोक्ताओं को निःशुल्क वितरण किया जाने वाला गेहूँ को उपभोक्ताओं में वितरण नही किया गया तथा डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के पोस मशीन पर अंगुठा लगवा कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहूँ नही देकर उक्त गेहूँ का भी फर्जी ट्रांजेक्शन डीलर द्वारा किया जाना पाया गया।

ग्राम पंचायत देवगढ भाग–प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार श्री धनपाल/मांगीलाल एफपीएस कोड 11244 द्वारा माह दिसम्बर 2021 में उपभोक्ताओं को राशन वितरण में अनियमितता किये जाने पर विभागीय प्रकरण दर्ज कर डीलर का प्राधिकार–पत्र (1593/2018) दिनांक 10.01.2022 को निलम्बित किया गया। प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 13.06.2022 को पारित किया जाकर उसका प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया। साथ ही उसके विरूद्ध पुलिस थाना आबापुरा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:09 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार धनपाल/मांगीलाल, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत देवगढ भाग–प्रथम द्वारा उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना [illegible] 111.13 क्वि. गेहूँ का फर्जी ट्रांजेक्शन

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दर्शाकर एवं उन्हे भौतिक रूप से नही देकर गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। कुल 111.13 क्वि. गेहूँ की कीमत 27 रू. प्रति किग्रा. की दर से 300051/– रू. बनती है।

अप्रार्थी डीलर धनपाल/मांगीलाल, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत देवगढ भाग–प्रथम 111.13 क्विं. गेहूँ की कीमत 27/– रु. प्रति किलो. की दर से राशि 300051/–रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 300051/–रु. वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 07.08.2024 को श्री दिनेश पुरी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश किया। दिनांक 04.10.2024 को अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया कि प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय द्वारा पुलिस थाना आंबापुरा जिला बांसवाडा में प्राथमिकी संख्या 21/ 2022 लेखबद्ध करायी थी। जिसमें पूर्ण अनुसंधान के उपरान्त पुलिस थाना आंबापुरा जिला बांसवाडा द्वारा मामला अदम वकुआ झुठ (तथ्य की भूल) की मानकर अंतिम नकारात्मक प्रतिवेदन श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। श्रीमान् जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा समान तथ्यो पर श्रीमान् से पब्लिक डिमांड प्रमाण पत्र जारी करवाया है। जो तथ्य स्वतंत्र अनुसंधान एजेन्सी द्वारा नकार दिये गये है व झुठ मान लिये गये है। उनके विरुद्ध श्रीमान् जिला रसद अधिकारी बांसवाडा द्वारा कोई अपील अथवा अभ्यावेदन पत्र प्रस्तुत नही किया है। अपनी पैरवी का समुचित अवसर दिये बिना प्रमाण पत्र जारी किया गया है। प्रवर्तन निदेशक की जांच रिपोर्ट का भी सत्यापन नही हुआ है। प्रवर्तन निदेशक व शिकायतकर्ता उपभोक्ताओ से जिरह का अवसर भी नही दिया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 04.01.2022 को उचित मुल्य दुकान का निरीक्षण करना बताया है जबकि कोविड 19 कोरोना वैश्विक महामारी राष्ट्र में व्याप्त थी। उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा हर जरुरतमंद को भोजन हेतु राशन सामग्री उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किये थे तथा उपभोक्ताओ को घर घर जाकर राशन वितरण करने हेतु निर्देशित किया गया था। उस दौरान पोस मशिन व राशनकार्ड में इन्द्राज की बाध्यता से भी छुट प्रदान की थी। इस कारण कुछ उपभोक्ताओ के राशनकार्ड में इन्द्राज नही होना अनियमितता की श्रेणी में नही आता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:09 IST
Reason: SelfAttested

तत्पश्चात् पेशी दिनांक 04.12.2024, 19.12.2024, 10.01.2025, 29.01.2025, 20.02.2025, 07.03.2025 को अप्रार्थी स्वयं अथवा उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। आज दिनांक 27.03.2025 को भी अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित है। अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता को बार–बार रुक–रुक कर सायं 4.00 बजे तक आवाज लगवाई किन्तु अप्रार्थी व उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर विभागीय पैरोकार की ओर से प्रस्तुत एकक्षीय बहस सुनी। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत देवगढ़ भाग–प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार श्री धनपाल/मांगीलाल पोस कोड 11244 के विरूद्ध राजस्थान संपर्क पोर्टल एवं राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खबर ''राशन के गेहूं वितरण पर उठने लगे सवाल'' के सन्दर्भ में प्राप्त शिकायत की जांच दिनांक 04.01.2022 को श्री लालशंकर डामोर, प्रवर्तन निरीक्षक बांसवाडा बहमराह श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक गढ़ी, श्री धर्मेन्द्र रोत प्रवर्तन निरीक्षक बागीदौरा की संयुक्त टीम द्वारा की गई। उपभोक्ताओं एवं डीलर की मौजूदगी में उपभोक्ताओं के बयान लिये गये, राशनकार्डो की जांच की गई, गौदाम का भौतिक सत्यापन किया गया। श्री धनपाल को पात्र उपभोक्ताओं में वितरण हेतु माह दिसम्बर 2021 पेटे खाद्य सुरक्षा योजना में क्रय–विक्रय सहकारी समिति बांसवाडा (थोक विक्रेता खाद्यान्न) द्वारा बिल न. 2973/02.12.2021 द्वारा 124.50 क्विं गेहूँ तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् पात्र उपभोक्ताओ में निःशुल्क वितरण हेतु माह नवम्बर 2021 पेटे बिल न. 2877/17.11.2021 द्वारा 111.13 क्विं गेहूँ उपलब्ध करवाया गया। दोनो का वितरण माह दिसम्बर 2021 में उपभोक्ताओं को किया जाना था।

मौका जांच में राशन डीलर द्वारा पोस मशीन पर उपभोक्ताओ के फिंगर लगाने के बाद केवल माह दिसम्बर 2021 का राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं दिया, जो 1 रू एवं 2 रू प्रति किग्रा की दर से वितरण किया गया तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) नवम्बर 2021 पेटे उपलब्ध करवाया गया गेहूँ जो निःशुल्क वितरण किया जाना था, का उपभोक्ताओं में वितरण नही किया जाना पाया गया। जांच में यह तथ्य पाया गया कि उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में भी केवल खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं (माह दिसम्बर 2021) की मात्रा का वितरण इन्द्राज किया गया है। डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को यह गेहूं दिया गया, किन्तु प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का गेहूँ उपभोक्ताओं को उपलब्ध नही करवाया जाकर पोस मशीन में फर्जी ट्रांजेक्शन किया जाना पाया गया। मौके पर उपस्थित 23 उपभोक्ताओं

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:09 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

के राशनकार्डो की जांच तथा उनके बयान लिए गये जिन्हें डीलर द्वारा दिसम्बर 2021 में केवल खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आवंटित खाद्यान्न का ही वितरण किया जाना पाया गया। जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत् पात्र उपभोक्ताओं को निःशुल्क वितरण किया जाने वाला गेहूँ को उपभोक्ताओं में वितरण नही किया गया तथा डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के पोस मशीन पर अंगुठा लगवा कर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का गेहूँ नही देकर उक्त गेहूँ का भी फर्जी ट्रांजेक्शन डीलर द्वारा किया जाना पाया गया।

ग्राम पंचायत देवगढ भाग–प्रथम के उचित मूल्य दुकानदार श्री धनपाल/मांगीलाल एफपीएस कोड 11244 द्वारा माह दिसम्बर 2021 में उपभोक्ताओं को राशन वितरण में अनियमितता किये जाने पर विभागीय प्रकरण दर्ज कर डीलर का प्राधिकार–पत्र (1593/2018) दिनांक 10.01.2022 को निलम्बित किया गया। प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 13.06.2022 को पारित किया जाकर उसका प्राधिकार–पत्र निरस्त किया गया। साथ ही उसके विरूद्ध पुलिस थाना आबापुरा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई।

इस प्रकार धनपाल/मांगीलाल, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत देवगढ भाग–प्रथम द्वारा उपभोक्ताओं को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत आवंटित 111.13 क्वि. गेहूँ का फर्जी ट्रांजेक्शन दर्शाकर एवं उन्हे भौतिक रूप से नही देकर गबन एवं दुरूपयोग किया गया है। अप्रार्थी डीलर द्वारा प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 02, 05, 11, एवं 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अप्रार्थी कुल 111.13 क्वि. गेहूँ की कीमत 27 रू. प्रति किग्रा. की दर से 300051/– रू. बनती है।

अप्रार्थी डीलर धनपाल/मांगीलाल, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत देवगढ भाग–प्रथम 111.13 क्विं. गेहूँ की कीमत 27/– रु. प्रति किलो. की दर से राशि 300051/–रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार करने निवेदन किया गया।

हमने एक पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीलर श्री धनपाल/मांगीलाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत देवगढ भाग–प्रथम पोस कोड 11244 का कुल 111.13 क्वि. गेहूँ का गबन किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा अनियमितताऐं कर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 (4) के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 02, 05, 11, एवं 17सी का स्पष्ट उल्लंघन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना आंबापुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओ के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद कार्यालय के निर्णय दिनांक 13.06.2022 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 1593/2018 निरस्त किया है। अप्रार्थी डीलर श्री धनपाल/मांगीलाल, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत देवगढ भाग–प्रथम पोस कोड 11244 का कुल 111.13 क्विं. गेहूँ खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। अप्रार्थी के जवाब अनुसार उक्त मामले में उपलब्ध साक्ष्यो से अदम वाकुवा मामला झुठ का पाये जाने से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा के न्यायालय में नकारात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाडा द्वारा उक्त एफ.आर को स्वीकृत करने का अप्रार्थी की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। इस प्रकार कुल 111.13 क्विं. गेहूँ की राशि विभाग अनुसार 300051/– रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री धनपाल/मांगीलाल, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत देवगढ भाग–प्रथम, तहसील आंबापुरा, जिला बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 111.13 क्विं. गेहु, की राशि विभाग अनुसार 300051/– रु अक्षरे रुपया तीन लाख इक्यावन मात्र की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.05.01 10:54:09 IST
Reason: SelfAttested